संख्या-1/2025/08/35-3-2025

प्रेषक,

जे0एल0यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 27 जनवरी, 2025

विषय- गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2024-25 में सामान्य मद (ओएच 31) के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृति के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-476/ले0-91/2004(2), दिनांक 15-07-2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पत्र सं0-9-1/2023/आरआईसी दि0 20.03.2023 द्वारा वर्तमान वर्ष 2024-25 में सामान्य मद **(ओएच 31) के अन्तर्गत स्वीकृत केन्द्रांश** की धनराशि रू0 68,40,000/- के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रू 25,00,000/- (रू0 पच्चीस लाख मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपलब्ध बजट व्यवस्था में से 50 प्रतिशत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृत/अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

I. स्वीकृति धनराशि का उपभोग चालू वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
II. अनुदान का भुगतान करने के लिए बिल आहरण हेतु गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ द्वारा बनाया जायेगा एवं उस पर अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
III. अनुदान के उपयोग के सम्बन्ध में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधानपरिषद, नई दिल्ली के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
IV. कोषागार में उतनी ही धनराशि समय-समय पर संस्थान द्वारा आहरित की जायेगी, जिसके भुगतान की तात्कालिक आवश्यकता हो,कोषागार से आहरित की जाने वाली धनराशि की आवश्यकता का आंकलन/ परीक्षण जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत मद में संस्थान के सम्बन्धित बैंक आदि खातों में उपलब्ध धनराशि के आधार पर करते हुए यथा आवश्यक धनराशि के आहरण हेतु बिल प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
V. उपरोक्त अनुदान का कोई भी भाग ऊपर वर्णित मदों के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाया जायेगा। अवमुक्त की जा रही राज्यांश धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अनुदान की आगामी किश्त की मांग के समय उपर्युक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराया जायेगा।
VI. इस अनुदान पर राजाज्ञा संख्या-ए-2364/दस-17/2(1)/67, दिनांक 20 जुलाई,1971 के संलग्नक में निहित अनुदान के नियम लागू होंगें।
VII. उत्तर प्रदेश शासन से स्वीकृत अनुदान के लेखे-जोखे पृथक से रखे जायेंगें तथा उनका निरीक्षण,महालेखाकार,उत्त्र प्रदेश,इलाहाबाद की इच्छा अनुसार किसी भी समय किया जा सकेगा तथा परीक्षण राज्य सरकार के नियोजन विभाग के अधिकारियों एवं निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा जब कभी वे चाहेंगें, किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

VIII. संस्थान को स्वीकृत उक्त अनुदान का उपभोग प्रमाण-पत्र संस्थान द्वारा आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, लखनऊ के माध्यम से महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं शासन को समयान्तर्गत भेजा जायेगा। आगामी किश्त की मांग के समय वित्तीय वर्ष 2023-24 के व्यय के आडिटेड ब्यौरों को भी उपलब्ध कराया जायेगा

IX. उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के अधीन लेखाशीर्ष "3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-800-अन्य व्यय-05-गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को अनुदान -20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के FINRMS से प्राप्त अशासकीय संख्या-ई0-5-183-x-2024-2025, दिनॉक 23 जनवरी, 2025 के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है

भवदीय,

(जे0एल0 यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1/2025/08/35-3-2025, **तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफीसर(आडिटर प्लानिंग)कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम,
4- सत्यनिष्ठ भवन,15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
7- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8- अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ
9- सदस्य-सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद,पोस्ट बाक्स नं0-10580,
10- अरूणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली।
11- निदेशक, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
13- नियोजन अनुभाग-1।
14- गार्ड फाइल/स्वीकृत पंजी।

आज्ञा से,

(प्रमोद कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in